

मार्च के सूचना देने के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार विभेदक ब्याज दर योजना के अन्तर्गत दिए गए अग्रिम

	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		कुल	
	खातों की सं.	बकाया शेष	खातों की सं.	बकाया शेष	खातों की सं.	बकाया शेष
	1	2	3	4	5	6
1. प्रत्यक्ष रूप से दिए गए अग्रिम						
2. निम्नलिखित के माध्यम से						
अ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक						
ब) राज्य द्वारा प्रायोजित अजा/अजजा निगम						
क) सरकार द्वारा कुछ विशिष्ट जनजाति क्षेत्रों में पहचान किए गए को-ऑपरेटिव / बड़े आकार वाली बहु-उद्देशीय समितियां (एलएएमपीएस)						
जोड़						